

5/11/24

पत्रावली पेश हुमी। वरील पत्रकारण अने।
 वरील पत्रकारण की ५० पत्र 151 नदी की
 साम्य खोले जाने व ५० पत्र 22R3 जा-दी
 व दका 5 मिनाद अधिनियम पर व इस
 चुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन विना
 गया। प्रस्तुत बहस व अवलोकन के पश्चात
 नदी का ५० पत्र 151 व ५० पत्र 22R3
 जा-दी व दका 5 मिनाद का अहमिकार
 विना जाकर नदीगण का बाद अकेट होने
 के कारण खारिज विना जाता है। विस्तृत
 निर्णय पृथक् से टंकित होकर शामिल
 पत्रावली हो। पत्रावली कैसल शुभार
 होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश
 सुबले न्यायालय में सुनाया गया।

काम नही



[Signature]
 उपस्थित अधिकारी
 गौधर लेक